"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2017 —— वैशाख 29, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-20/2016/32. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 4 में, उप-नियम (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) विद्यमान सुविधाओं में सुधार के मामले में, व्यक्ति द्वारा मण्डल की सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे नवीन आवेदन माना जायेगा :

परन्तु क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण के मामले में, सम्मति फीस केवल ऐसी क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण पर होने वाले विनिधान के आधार पर प्रभारित की जायेगी, न कि कुल विनिधान पर अर्थात् विनिधान जिसमें विद्यमान क्षमता एवं क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधिकरण पर विनिधान सम्मिलित है, के आधार पर :

परन्तु यह और कि कोई सम्मति फीस प्रभारित नहीं की जायेगी, यदि पूर्व में जारी पृथक-पृथक सम्मति को एकीकृत करते हुए, एकीकृत सम्मति उसी औद्यौगिक परिसर के भीतर जारी की जाती है :

परन्तु यह भी कि पूर्व में जारी स्थापना सम्मति में वर्णित परियोजना विन्यास में, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान, किसी परिवर्तन हेतु सम्मति फीस पुन: देय नहीं होगी, यदि ऐसे परिवर्तन से परियोजना की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक एफ 1-20/2016/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 19th May 2017

NOTIFICATION

No. F 1-20/2016/32. — In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), and after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 4, for sub-rule (ii), the following shall be substituted, namely :-

"(ii) In case of improvements in the existing facilities, application shall be made by the person for the consent of the Board, which shall be deemed to be a new application:

Provided that in case of capacity expansion/modernization/diversification consent fee shall be charged on the basis of the investment made on such capacity expansion/modernization/diversification only and not on the total investment i. e. on the basis of investment including investment on existing capacity and expansion of capacity/ modernization/diversification :

Provided further that no consent fee shall be charged, if by unifying earlier issued separate consent, unified consent is issued within the same industrial premises :

Provided also that consent fee shall not be payable again for any change in project configuration described in establishment consent issued earlier during the execution of project, if there is no increase in output capacity of the project due to such change."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.